राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

आबकारी अपील संख्या – 677/2015/अजमेर

पवन गोयल पुत्र कैलाश चन्द गोयल,
जाति–अग्रवाल,निवासी–20 बी, चन्द्र नगर,
ब्यावर रोड़, अजमेर ......अपीलार्थी

बनाम

1.आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर
2.जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर
3.राजेन्द्र पारीक कार्यवाहक आबकारी अधिकारी,
आबकारी निरोधक दल उदयपुर(राज) ....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ

श्री बी.के.मीणा, अध्यक्ष

श्री ईश्वरी लाल वर्मा,सदस्य

उपस्थित : :

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय
अभिभाषक ....अप्रार्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 24/08/2015

निर्णय

अपीलार्थी (प्रार्थी)द्वारा यह आबकारी अपील राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'आबकारी अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9 क (ख) के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त, उदयपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक प.38(ए)(95)पी/हो.आब. /2014/08 दिनांक 10.04.2015 को पारित किया गया, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी (प्रार्थी) मै0 होटल गोयल्स इन, सी–19–20, बी.के.कोल नगर, अजमेर हेतु राजस्थान आबकारी (होटल बार/क्लब बार अनुज्ञप्तियां प्रदान करना) नियम 1973 के अन्तर्गत होटल बार के अनुज्ञापत्र हेतु दिनांक 21.04.2014 को आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन का परीक्षण करने के उपरान्त आबकारी निरीक्षक अजमेर ने अपनी रिपोर्ट जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर को अग्रेषित की गयी थी। तत्पश्चात दिनांक 18.11.2014 को उक्त होटल का निर्धारित कमेटी द्वारा निरीक्षण किया गया। कमेटी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर आबकारी आयुक्त द्वारा आबकारी अधिकारी, उदयपुर को निरीक्षण करने हेतु निर्देश दिये गये। आबकारी अधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट का परीक्षण किया गया, जिसके अनुसार होटल में कमिया पाई गयी। इन कमियो के मध्यनजर आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी होटल को अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने योग्य नहीं माना तथा आबकारी आयुक्त द्वारा यह अंकित करते हुए कि प्रश्नगत इकाई के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा विभाग को गलत तथ्य प्रस्तुत करने एवं गुमराह करने के कारण आवेदक द्वारा अनुज्ञापत्र हेतु जमा कराई समस्त राशियों को जब्तराज किये जाने के आदेश दिये। आबकारी आयुक्त के इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

-२५२

लगातार..................2

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी ने राजस्थान आबकारी (होटल बार/क्लब बार अनुज्ञप्तियां प्रदान करना) नियम 1973 के अन्तर्गत होटल बार के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था तथा अपीलार्थी द्वारा होटल बार लाइसेन्स की बेसिक लाईसेंस फीस रू0 6,50,000/– वे स्पेशल बेंड फीस रू0 50,000/– कुल रू0 7,00,000/– जमा कराये। आबकारी निरीक्षक अजमेर ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट, जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर को प्रस्तुत की गई, जिसमें लाईसेंस प्रदान करने की अनुशंषा की गई। विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि राज्य सरकार की आज्ञा दिनांक 13.03.2006 के अनुसार गठित समिति द्वारा भी होटल निरीक्षण के संबंध में निश्चित प्रारूप में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार भी अपीलार्थी को अनुज्ञापत्र जारी करने की अनुशंषा की गई। विद्वान अभिभाषक का कथन है कि आबकारी आयुक्त द्वारा पुनः होटल का निरीक्षण आबकारी अधिकारी, उदयपुर से करवाया गया तथा जोन स्तरीय कमेटी की अनुशंषा को नजर अंदाज कर, आबकारी अधिकारी उदयपुर की नकारात्मक रिपोर्ट के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी के सदस्य सचिव के रूप में कमेटी की अनुशंषा दिनांक 18.11.2014 को गलत बताते हुए तथा यह अंकित करते हुए कि जोन स्तरीय उपसमिति के सदस्यों एव जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपने कर्तत्यों का निर्वाहन पूर्णतया नहीं कर खानापुर्ति कर एवं परिवर्तित करने का प्रयास किया है और उच्च स्तरीय अधिकारियों को भ्रमित कर गलत आदेश जारी करने का कुत्सित प्रयास किया है। अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र निरस्त कर, आवेदन के साथ जमा कराई गई राशिया जब्त कर ली गई।

विद्वान अभिभाषक का कथन है कि आबकारी आयुक्त द्वारा आबकारी अधिकारी, उदयपुर की रिपोर्ट के आधार पर यह कहते हुए कि प्रश्नगत होटल में 16 कमरे नहीं है होटल में नियमित उपयोग किये जाने वाला रेस्टोरेन्ट एवं किचन भी नहीं है। प्रस्ताव में निर्दिष्ट पार्किग होटल की विपरित दिशा में स्थित एवं झाडीयुक्त प्लाट है जिसका उपयोग पांर्किग के रूप में नहीं किया जाता है। होटल के टॉप फलोर पर स्थित रूम होटल वेटर स्टाफ द्वारा रहने के उपयोग में लिया जाता है न कि होटल के उपयोग में, अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया गया। जबकि राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के अन्तर्गत बने राजस्थान आबकारी(होटल बार/क्लब बार अनुज्ञप्तियां प्रदान करना) नियम 1973 के विभिन्न प्रावधानों में स्वयं की कार पार्किग व्यवस्था होना कही भी उल्लेखित नहीं है। होटल में 15 कमरे बने हुए है जो जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर के पत्र दिनांक 21.01.2015 से स्वतः ही प्रमाणित होता है। अतः आबकारी आयुक्त का यह निर्णय दिनांक 10.04.2015 तथ्यों के विपरित व अविधिक है। अपने इन कथनों के साथ प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी की अपील स्वीकार कर, प्रार्थी द्वारा जमा करायी राशि मय 12 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाई जावे। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित एस.बी.सिविल पिटीशन नं0 1380/2015 रोहित तेतरवाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य निर्णय दिनांक 16.3.2015 भी बहस

-2612

लगातार.....3

के दौरान पेश किया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि दस्तावेजों की पूर्ति से प्रार्थी राजस्थान आबकारी (होटल बार/क्लब बार अनुज्ञप्तियां प्रदान करना) नियम 1973 के उप नियम (3) के (8) में दर्शायी गई सभी प्रकार की अयोग्यताओं से परे रहा है। आवेदन पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति की संस्तुति/अनुशंषा के उपरान्त किसी भी परिस्थिति में निरस्त नहीं किया जा सकता था। प्रार्थी द्वारा जमा कराई राशि को आयुक्त आबकारी द्वारा दिंनाक 10.04.2015 के आदेश से जब्तराज करना पूर्णतया अवैधानिक है। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रकरण की अनुशंषा आबकारी आयुक्त को राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी के सदस्य सचिव के रूप में कमेटी की अनुशंषा दिनांक 18.11.2014 द्वारा की गई थी। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा कही भी लेखबद्ध नहीं किया गया कि प्रार्थी आवेदन उप नियम(8) में अनुज्ञप्ति रखने से उल्लेखित अयोग्यताओं में से ग्रसित है या नहीं। जिला आबकारी अधिकारी अजमेर द्वारा दस्तावेजों की पूर्तिया करायी जाकर अपनी टिप्पणी दिनांक 21.01.2015 से आबकारी आयुक्त, उदयपुर को अविलम्ब प्रेषित कर दी गई थी। प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि आयुक्त आबकारी उदयपुर का आदेश दिनांक 10.04.2015 द्वारा जोन स्तरीय कमेटी की अनुशंषा को नकार कर सहायक आबकारी अधिकारी उदयपुर(निरोधक दल) की नकारात्मक रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का होटल बार आवेदन पत्र एक वर्ष पश्चात निरस्त कर अनुज्ञा शुल्क की जमा राशि व अन्य राशियां जब्तराज की गई है। राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के अन्तर्गत बने राजस्थान आबकारी(होटल बार/क्लब बार अनुज्ञप्तियां प्रदान करना) नियम 1973 के विभिन्न प्रावधानों में स्वयं की का पार्किंग व्यवस्था होना कही भी उल्लेखित नहीं है। होटल में 15 कमरे बने हुए है यह तथ्य जिला आबकारी अधिकारी अजमेर के पत्र दिनांक 21.01.2015 से स्वतः ही प्रमाणित होता है। अतः उपरोक्त को सही बताते हुए प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी की अपील स्वीकार कर, प्रार्थी द्वारा जमा करायी राशि मय 12 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाई जावे।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी के होटल का निर्धारित कमेटी द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसकी रिपोर्ट आबकारी आयुक्त को संदेहास्पद लगने से आबकारी आयुक्त द्वारा आबकारी अधिकारी, उदयपुर को निरीक्षण करने हेतु निर्देश दिये गये। आबकारी अधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट का परीक्षण किया गया, जिसके अनुसार होटल में कमिंया पाई गयी। आबकारी आयुक्त द्वारा इन कमिंयों के मध्यनजर आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया गया व मिथ्या, गलत जानकारी देते हुए, आवेदन करने पर, आबकारी आयुक्त द्वारा आबकारी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राशि जब्त कर ली गई है। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक का कथन है कि आबकारी आयुक्त द्वाराआबकारी अधिनियम की पूर्ण पालना करते हुए तथ्यों एवं परिस्थितियों के मध्यनजर आदेश पारित किये है, जो पूर्णतया विधिक एवं सही है। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

-362

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी द्वारा राजस्थान आबकारी (होटल बार / क्लब बार अनुज्ञप्तियां प्रदान करना) नियम 1973 के अन्तर्गत होटल बार के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन किया। आबकारी निरीक्षक अजमेर ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट, जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर को प्रस्तुत की गई, जिसमें लाईसेंस प्रदान करने की अनुशंषा की गई। तत्पश्चात् राज्य सरकार की आज्ञा दिनांक 13.03.2006 के अनुसार गठित समिति द्वारा भी होटल निरीक्षण के संबंध में निर्धारित प्रारूप में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार भी अपीलार्थी को अनुज्ञापत्र जारी करने की अनुशंषा की गई। इसके उपरान्त भी आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 18.11.2014 को कमेटी द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिश को संदेहास्पद माना गया तथा आबकारी अधिकारी, उदयपुर को पुनः निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये। आबकारी अधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के होटल में राजस्थान आबकारी (होटल बार / क्लब बार अनुज्ञप्तियां प्रदान करना) नियम 1973 के नियम 3(3) के अन्तर्गत राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 69(1) में वर्णित शर्तों की पालना नही होने से अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया तथा अनुज्ञापत्र लेने हेतु गलत तथ्य अंकित करने के कारण अपीलार्थी द्वारा जमा कराई गई आवेदन राशि व अन्य राशि जब्त कर ली गई।

आबकारी अधिकारी, उदयपुर द्वारा दिनांक 10.03.2015 को अपीलार्थी के होटल का निरीक्षण किया गया, जिसकी रिपोर्ट आबकारी आयुक्त की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 62 पर उपलब्ध है। आबकारी अधिकारी, उदयपुर की रिपोर्ट के अनुसार **"होटल के ग्राउण्ड फ्लोर पर रिसेप्शन काउंटर तथा प्रथम मंजिल पर एक हॉल तथा सिढियों के पास एक स्टोर एवं स्टोर से लगता एक छोटा कमरा अटैच टॉयलेट का तथा एक टॉयलेट अलग से बना हुआ पाया। होटल के द्वितीय मंजिल पर सात कमरे अटैच टॉयलेट वाले तथा तृतीय मंजिल पर भी द्वितीय मंजिल के अनुरूप सात कमरे अटैच टॉयलेट वाले बने हुए मिले। होटल के चतुर्थ मंजिल पर एक कमरा तथा बाकी खुली छत मिली। छत पर एक बडी सुप्रिमो कम्पनी की पांनी की टंकी तथा सोलर गिजर एवं जनरेटर रखा मिला। छत पर लगी रस्सी पर कपडे सूखते हुए तथा छत पर दो महिलाये बैठी हुई थी। चतुर्थ मंजिल पर बने एक मात्र कमरे में एक व्यक्ति अन्दर बैठा हुआ होकर उसने गैस चुल्हा, सिलेण्डर, खाना बनाने का समान, पहनने के कपडे एवं बिस्तर इत्यादि रखे हुए मिले। ...."**

".......होटल मैनेजर मूलचन्द ने भी वेटर राहुल गर्वा की बात की ताईद करते हुए बताया कि होटल में सिर्फ द्वितीय व तृतिय मंजिल पर बने चौदह कमरे ही किराये पर दिये जाते है। चतुर्थ मंजिल पर बना कमरा होटल स्टॉफ के लिये तथा

-392-

प्रथम मंजिल पर दोनो छोटे कमरों में से एक का उपयोग स्टोर में तथा दूसरे का अन्य कार्य में उपयोग किया जाता है।..."

आबकारी आयुक्त की पत्रावली पर (पृष्ठ संख्या 63) होटल के वैटर राहुल गर्वा के बयान दर्ज है जिसमें अंकित किया गया है कि " **श्रीमान मै राहूल गर्वा, होटल गोयल इन, बी के कौल नगर अजमेर मै पिछले करीब एक वर्ष से होटल गोयल इन में वेटर का कार्य करता हूँ। तथा 4500 रू प्रतिमाह वेतन तथा गोयल इन की चौथी मंजिल पर बने कमरे में निवास करता हूँ यह कमरा किराये पर नहीं दिया जाता है। होटल स्टॉफ के रहने के लिये बना हुआ है। इसमें होटल के अन्य कमरों जैसे पंलग, टी.वी. बिस्तर इत्यादि की सूविधा नहीं है**"

राजस्थान आबकारी (होटल बार/क्लब बार अनुज्ञप्तियां प्रदान करना) नियम 1973 के नियम 3 के तहत होटल अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए योग्यता और प्रकिया बताई गई है। अपीलार्थी द्वारा यह योग्यता पूर्ण नहीं होने के कारण अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है। इस हेतु राजस्थान आबकारी (होटल बार/क्लब बार अनुज्ञप्तियां प्रदान करना) नियम 1973 के नियम 3 का अवलोकन करना समीचिन होगा, जो इस प्रकार है :–

नियम 3 होटल अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए योग्यता और प्रकिया : (1) कोई भी व्यक्ति जिसका इन नियमों में परिभाषित अनुसार होटल पर स्वामित्वाधीन है और चलाता है और जो नीचे उप नियम(8) में उल्लेखित निरर्हताओं में से किसी को नहीं रखता, होटल बार/क्लब बार अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन करने योग्य होगा :

(परन्तु सरकार, यदि वह ऐसा चाहे, किसी स्थान को होटल बार लाईसेंस/क्लब बार लाईसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन पर सिफारिश करने के लिए, यद्यपि यह नियम 2 के अर्न्तगत निर्धारित मापदण्ड पुरे नहीं करता है, एक कमेटी गठित कर सकेगी लेकिन जयपुर शहर में किसी भी 20 से कम किराये पर देने योग्य कमरों के होटल तथा अन्य स्थानों पर 15 से कम किराये पर देने योग्य कमरों के होटल को लाइसेंस प्रदान नहीं किया जायेगा तथा यदि पहले ही प्रदान किया जा चुका है तो नवीकरण नहीं किया जाऐगा जब तक कि ऐसा लाईसेंस धारक नवम्बर, 2005 तक इस सीमा तक उसके/उनके होटल मे किराये पर देने योग्य कमरों की संख्या लाने हेतु अधिक कमरे निर्मित करवाने का वचन नहीं देता है। आबकारी आयुक्त ऐसी कमेटी की सिफारिश पर लाईसेंस प्रदान कर सकता है।)

राजस्थान आबकारी (होटल बार/क्लब बार अनुज्ञप्तियां प्रदान करना) नियम 1973 के नियम 3 के उपनियम 8 का अवलोकन करना समीचिन होगा, जो इस प्रकार हैः–

(8)अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन निम्नलिखित कारणों हेतु अस्वीकृत करने हेतु दायी होगा।

(क) यदि इस पर उपयुक्त हस्ताक्षरः नहीं किये गये है या अपूर्ण है।

(ख) यदि आवेदन राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 स्वापक, औषधि और मनः प्रभावी पर्दार्थ अधिनियम, 1985 या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत अपराध के लिये दोषसिद्व या यदि उसे उक्त विधियो

के अधीन जारी किसी अनुज्ञप्ति के किसी गंभीर उल्लंघन के लिये दण्डित किया गया हो।
(ग) यदि आवेदक आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी गैर जमानती अपराध के लिये दोषसिद्व किया जाए परन्तु ऐसे दोषसिद्व व्यक्ति के आवेदन को आबकारी आयुक्त द्वारा विचारित किया जा सकेगा, यदिउसके साथ पुलिस अधीक्षक से या राजस्थान अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अधीन नियुक्त परिवीक्षा अधिकारी से अच्छे चरित्र का हाल ही में प्राप्त प्रमाण पत्र लगा हो,
(घ) यदि उसके विरूद्व आबकारी देय प्रतीत होते हो।
(ड) यदि आवेदक 18 वर्ष की आयु से कम आयु का हौ।

उक्त अधिनियम के नियम 3 में लाईसेंस प्रदान करने हेतु पात्रता तथा प्रकिया को बताया गया है तथा उपनियम 8 में अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख किया गया है। आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी का आवेदन निरस्त करने का ऐसा कोई कारण नहीं है जो उपनियम–8 में अंकित कारणों में से हो, जिससे उसका आवेदन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता हो।

राजस्थान आबकारी (होटल बार/क्लब बार अनुज्ञप्तियां प्रदान करना) नियम 1973 के अर्न्तगत सितारा श्रेणी के अवर्गीकृत होटलों को होटल बार अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने के संबंध में राज्य सरकार की आज्ञा कमांक प.3(2) वित्त/आय/96 दिनांक 04.09.1996 एवं समसंख्यक आज्ञा दिनांक 13.03.2006 के अनुसार समिति का गठन किया जाता है।

अपीलार्थी के प्रकरण में भी कमेटी का गठन किया गया जिसमें श्री अंतर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी अजमेर, अध्यक्ष श्री दाताराम, जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर, सदस्य सचिव श्री जगदीश चन्द हेडा, अति. मुख्य कार्यकारी जिला परिषद अजमेर सदस्य तथा प्रदयुमन सिंह, पर्यटन अधिकारी, अजमेर सदस्य नियुक्त किये गये। इस कमेटी द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपनी रिपोर्ट पेश कि जिसके **कम संख्या 2 के बिन्दु संख्या 10 में यह स्पष्ट अंकित किया है कि होटल में किराये पर देने योग्य कमरों की संख्या 16 है तथा कम सख्या 7 में समिति का अभिमत/अनुशंषा का कॉलम है जिसमें उक्त कमेटी द्वारा यह अंकित किया गय है कि " संस्थान बार अनुज्ञापत्र धारण करने की योग्यताओं को पूर्ण करता है होटल बार अनुज्ञापत्र जारी करने की अनुशंषा की जाती है।"**

आबकारी आयुक्त द्वारा इस कमेटी की अनुशंषा को संदेहास्पद मानते हुए कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, उदयपुर को पुनः निरीक्षण हेतु निर्देश दिये गये। जबकि उक्त समिति राज्य सरकार के निर्धारित मापदंड के अनुसार गठित की गई थी व इस समिति में आबकारी विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद थे। परन्तु आबकारी आयुक्त ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर, बिना उचित कारणों का अंकन करते हुए, कमेटी के द्वारा की गई अनुशंषा को संदेहास्पद माना तथा आबकारी अधिकारी, उदयपुर द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया गया।

-362

इस संबंध में राजस्थान आबकारी (होटल बार/क्लब बार अनुज्ञप्तियां प्रदान करना) नियम 1973 के नियम 7 का भी अवलोकन करना उचित होगा जो इस प्रकार है :–

नियम 7 :– आवेदन अस्वीकृत करने की आबकारी आयुक्त की शक्ति :– इन नियमों में किसी भी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, आबकारी आयुक्त किसी भी कारण को समनुदेशित किये बिना अनुज्ञप्ति के लिए किसी आवेदन को अस्वीकृत करने के लिए सक्षम होगा।

आबकारी आयुक्त द्वारा राजस्थान आबकारी (होटल बार/क्लब बार अनुज्ञप्तियां प्रदान करना) नियम 1973 के नियम 7 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अपीलार्थी का लाईसेंस निरस्त कर दिया गया। इस हद तक आबकारी आयुक्त का आदेश उचित प्रतीत होता है।

परन्तु जहां तक अपीलार्थी द्वारा जमा कराई गई राशि के जब्त करने का संबंध है इस के लिये नियम 6 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन संस्वीकृत नहीं किया जाता और आवेदक की तरफ से व्यक्तिकम नहीं होने के लिये अस्वीकृत किया जाता है, तो आवेदक उसके द्वारा भुगतान की गई आंरभिक फीस के प्रतिदाय का हकदार होगा।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहूंची है कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त करने पर भी वह पूर्व में जमा कराई गई राशि का प्रतिदाय का हकदार होगा। अतः आबकारी आयुक्त का आदेश दिनांक 10.04.2015 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, आबकारी आयुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि वे अपीलार्थी को उसके द्वारा पूर्व में जमा कराई गई लाईसेंस फीस राशि का रिफण्ड करें।

परिणामतः अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

24.8.2015

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य

(बी.के. मीणा)
अध्यक्ष